# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4641/2022

सुशील कुमार सैनी

–अपीलार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काली पहाड़ी, झुंझुनू।
5. सुधीर कुमार, वरिष्ठ अध्यापक, अंग्रेजी श्री केडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बल्लेरा में स्थानांतरणाधीन।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 01.11.2022

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काली पहाड़ी झुंझुनू से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोहा, चूरू में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काली पहाड़ी, झुंझुनू में किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से दुर्भावनापूर्वक किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की माताजी कैंसर रोग से पीड़ित है, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को पारिवारिक दायित्व निभाने में काफी कठिनाई

होगी। अपीलार्थी का पुत्र भी मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसकी देखभाल के लिए भी अपीलार्थी का उसके पास रहना आवश्यक है। अतः उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

4. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
5. अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2014 से निरंतर पदस्थापित है। ऐसे में पर्याप्त अवधि के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के दुर्भावना या विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
6. जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध है, इस संबंध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राहय्ता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**